

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक फरवरी, 2016

संख्या-1/ पी05-10-03/2008 खण्ड-I गृ0आ0 / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिसूचना सं0-11030/03/2010-AIS-II (A) दिनांक 20.06.2012 के आलोक में श्री राकेश राठी, भा0पु0से0 (BH:2002), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 2007 तथा समय-समय पर निर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान Pay-Band-4; Rs. 37400-67000; Plus Grade Pay Rs. 8900, में दिनांक 15.02.2016 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/पी05-10-03/2008 खण्ड-I गृ0आ0 / पटना, दिनांक फरवरी, 2016
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (वेबसाईट : www.home.bih.nic.in)।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/पी05-10-03/2008 खण्ड-I गृ0आ0 / पटना, दिनांक फरवरी, 2016
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, बिहार पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/पी05-10-03/2008 खण्ड-I गृ0आ0 1322 / पटना, दिनांक 19, फरवरी, 2016
प्रतिलिपि :- अवर सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक/ सभी पुलिस महानिरीक्षक प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय/ सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्र एवं मुख्यालय/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी/ सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षा वाहिनी/ श्री राकेश राठी, भा0पु0से0 (BH:2002) पुलिस अधीक्षक, सी0बी0आई0, सी0जी0ओ0, कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-11003/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (वेबसाईट:www.home.bih.nic.in) पर दर्शाने हेतु/ प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 5 गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ0आर0 22(1)(ए)(1) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :-

"Under FR 22 (1) (a)(1) also there is a provisions that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be excersied within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post".

सरकार के अपर सचिव